the Ministry and its associated offices.

— Scientific posts (Gr. A level) were excluded from the purview of UPSC.

— Fresh Recruitment Rules were framed in September, 1987, for scientific posts providing also for promotion to higher grades on the basis of periodic review/assessment under the Flexible Complementing Scheme.

— Scientific/technical posts at Gr. B/Gr. C level need restructuring in line with those for Gr. A level.

Steps have been intiated to fill up the posts.

**न्यायालयों में हिन्दी का प्रयोग**

2793. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'क' क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को अपनी भाषा में बिना किसी देरी के न्याय दिलाने की कोई योजना है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) ऐसे उच्च न्यायालयों और सत्र न्यायालयों के नाम क्या हैं जहां राजभाषा हिन्दी में निर्णय दिए जाते हैं ; और

(ग) हिन्दी भाषी राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध दायर की गई अपीलों पर उच्चतम न्यायालय द्वारा हिन्दी में निर्णय सुनाए जाने के लिए क्या प्रबंध किए गए है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) :** (क) और (ख) संविधान के अनुच्छेद 345 में यह कहा गया है कि किसी राज्य की विधान सभा उस राज्य में सरकारी प्रयोजनों के लिए उस राज्य में बोली जाने वाली भाषा या हिन्दी का प्रयोग करने के बारे में कानून द्वारा प्रावधान कर सकती है । इस अनुच्छेद के अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा/भाषाओं के बारे में निर्णय करने के लिए राज्य सरकारें सक्षम हैं । इसके अनुसार वे ऐसे न्यायालयों में प्रादेशिक भाषा/भाषाओं के प्रयोग का प्रबन्ध कर सकती हैं । संविधान के अनुच्छेद 348 (2) तथा राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 के अनुसार राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, उस राज्य के उच्च न्यायालय की कार्रवाइयों में या उच्च न्यायालय द्वारा किए गए अथवा पारित किए गए किसी निर्णय, डिक्री, आदेश के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी अथवा उस राज्य की राजभाषा के प्रयोग का आदेश दे सकती है । इस विषय में कारवाई राज्य सरकारों द्वारा की जानी अपेक्षित है । उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के राज्यपालों ने इन राज्यों के उच्च न्यायालयों की कार्रवाइयों आदि में हिन्दी का प्रयोग प्राधिकृत कर दिया हैं ।

(ग) संविधान के अनुच्छेद 348(1) के अनुसार उच्चतम न्यायालय की सभी कार्रवाइयां अंग्रेजी में होंगी जब तक संसद, विधि द्वारा कोई अन्य उपबन्ध न कर दे । संसद द्वारा अभी तक कोई ऐसा विधेयक पारित नहीं किया गया है जिसके अनुसार उच्चतम न्यायालय में किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत किया जा सके ।

**Flouting of norms by IDBI**

2794. SHRI M. A. BABY:
SHRI SUKOMAL SEN:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Industrial Development Bank of India flouted policy restrictions and norms to grant a sum of over Rs. 6.72 crores to a Gujarat mining unit in which a Central Minister and

his family members are beneficiaries; and

(b) if so, whether Government have received any petition on this issue?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) The Industrial Development Bank of India (IDBI) has reported that the loan of over Rs. 6.72 crores sanctioned by it along with other financial institutions for purposes of mining activity in the State of Gujarat has been to Gujarat Mineral Development Corporation. This is a wholley owned State Government undertaking. The loan has been sanctioned in accordance with institutional norms.

(b) IDBI has reported that they have not received any petition in respect of the above loan.

**शीशम की लकड़ी पर नक्काशी करके बनायी गयी वस्तुओं का निर्यात**

2795. **श्री रशीद मसूद** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर क्षेत्र में शीशम की लकड़ी पर नक्काशी करके अनेक वस्तुएं बनायी जाती हैं और उसके बाद उनका निर्यात किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में वर्षवार कितना-कितना निर्यात किया गया ;

(ग) क्या यह भी सच है कि गत तीन वर्षों के दौरान उनके निर्यात में आहिस्ता-आहिस्ता कमी आई है और निर्यातकों ने इस व्यापार में कठिनाइयों को दूर करने के लिए समय-समय पर सरकार से आग्रह किया है, और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस निर्यातोन्मुख उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने कौन-कौन से प्रभावी कदम उठाए हैं ?

**वस्त्र मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) निर्यातकों से इस व्यापार में आने वाली कठिनाइयों के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं मिली है । तथापि, रोज-वुड मदों सहित हस्तशिल्प के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं ।

(1) रोज-वुड हस्तशिल्प सहित लकड़ी की कलात्मक वस्तुओं के निर्यात इनके लिए पात्र हैं :--

(i) एफ०ओ०बी० मूल्य की 10 प्रतिशत दर से नकद मुआवजा सहायता ।

(ii) 1-8-86 से 180 दिनों की अवधि के लिए 9.5 प्रतिशत की दर से लदान-पूर्व तथा लदान-पश्चात् ऋण ।

(iii) आयात तथा निर्यात नीति के अन्तर्गत एफ०ओ०बी० मूल्य के 6 प्रतिशत की दर से आर०ई०पी० ।

(2) हस्तशिल्प के लिए एक अलग से निर्यात संवर्धन परिषद् की स्थापना की गई है ।

(3) रोज-वुड कलात्मक वस्तुओं सहित विभिन्न हस्तशिल्पों के लिए बाजार सम्भाव्यता का पता लगाने हेतु शीघ्र ही एक बिक्री सह-अध्ययन दल संभवतः सं. रा. अमरीका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, बेल्जियम तथा डेनमार्क का दौरा करेगा ।